मुख्यमंत्री युवास्वरोजगार योजना

उ0प्र0 सूक्ष्म, लद्यु एवं मध्यम उद्यम नीति–2016 के प्रस्तर–2.4.3 के अन्तर्गत सूक्ष्म उद्यमो ंको बढ़ावा देने के लिये मुख्यमंत्री युवास्वरोजगार योजना संचालित किये जाने का प्रावधान किया गया है। अतः प्रदेश **के शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के उददेश्य से "मुख्यमंत्री युवास्वरोजगार योजना"** संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है। 'मुख्यमंत्री युवास्वरोजगार योजना' के मार्ग दर्शन सिद्धान्त निम्नवत है :–

योजना का वित पोषण

1–योजनान्तर्गत उद्योग क्षेत्र का रू0–25.00 लाख तक की कुल परियोजना लागत की सूक्ष्म इकाइयो ंतथा सेवा क्षेत्र की रू0–10.00 लाख तक की कुल परियोजना लागत की सूक्ष्म इकाईयों को कुल परियोजना लागत का 25 प्रतिशत, उद्योग क्षेत्र हेतु अधिकतम रू0–6.25 लाख तथा सेवा क्षेत्र हेतु अधिकतम रू0–2.50 लाख की सीमा तक, मार्जिन मनी उपलब्ध कराया जायेगा, जो उद्यम के 02 वर्ष तक सफल संचालन के उपरान्त अनुदान में परिवर्तित हो जायेगा।

2–योजनान्तर्गत सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों द्वारा परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अपने अंशदान के रूप जमा करना होगा। विशेष श्रेणी के लाभार्थियों यथा–अनु0 जाति/जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला एवं विकलांग जन हेतु की सीमा कुल परियोजना की लागत की 05 प्रतिशत होगी।

3–कुल परियोजना लागत मे पूॅजी व्यय (भूमि क्रय की लागत को छोड़कर) और कार्यशील पूॅजी का एक चक्र शामिल होगें। परियोजना लागत में किराये पर वर्कशाप/वर्कशेड लिए जाने को शामिल किया जा सकता है परन्तु क्रय की लागत को परियोजना लागत में सम्मिलित नही किया जा जायेगा।

4–परियोजना धारक के अंशदान की कटौती करने के उपरान्त बैंक परियोजना का वित्तपोषण सम्मिश्र (कम्पोजिट) ऋण के रूप में करेगा, जिसमें सावधि ऋण और कार्यशील पूंजी भी शामिल होगें।

5–विशेष श्रेणी के लाभार्थियों को लाभ प्राप्त करने हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत संगत प्रमाण–पत्रों की प्रमाणित प्रति आवेदन–पत्र के साथ संलग्न करनी होगी।

6–योजनान्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों व अन्य शेडयूल्ड बैकों द्वारा वित्तपोषण किया जायेगा।

पात्रता की शर्तेः–

1–आवेदक उत्तरप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए एवं उसकी आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष तक होनी चाहिए।

2–आवेदक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए।

3–आवेदक को किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक/ वित्तीय संस्था/ सरकारी संस्था इत्यादि का चूककर्ता नही होना चाहिए।

4–आवेदक द्वारा पूर्व में संचालित प्रधानमंत्री रोजगार योजना, वर्तमान में संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री रोजगार योजना या केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित अन्य किसी स्वरोजगार योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त न किया गया हो।

5–आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य को योजनान्तर्गत केवल एक बार ही लाभान्वित किया जायेगा।

6–आवेदक द्वारा पात्रता की शर्तो को पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में शपथ–पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

चयन प्रकिया–

- लाभार्थी का चयन जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित, जिला कार्य दल समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता है।

परियोजना की मंजूरी–

- तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता के अनुसार बैंको की वित पोशक शाखाओं द्वारा परियोजना हेतु ऋण की स्वीकृति एवं वितरण किया जाता है।